संख्या : 13-दो(8)/XXXVI(1)(2)/08

प्रेषक,

आर०डी०पालीवाल,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग - 2 | देहरादून : दिनांक : 20 जून, 2008

विषय: विकासनगर, जिला देहरादून में सिविल जज(जू.डि.) न्यायालय के अनावासीय/आवासीय भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2008-2009 में धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1804/यूएचसी/एडमिन.बी/निर्माण/2007, दिनांक 22.5.2008 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2 इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विकासनगर, जिला देहरादून में सिविल जज(जू.डि.) न्यायालय के अनावासीय/आवासीय भवनों के निर्माण के लिये प्रेषित रु० 2,50,49,000/- के आगणन के सापेक्ष टी०ए०सी० द्वारा अनुमोदित रु० 2,20,00,000/- (दो करोड़ बीस लाख रुपये मात्र) की लागत के आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2008-09 में रु० 50,00,000/- (पचास लाख रुपये मात्र) की धनराशि को व्यय किये जाने की भी स्वीकृति महामहिम राज्यपाल निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :

(1) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को, जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा । तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी ।

(2) कार्य कराने से पूर्व समस्त कार्यों के विस्तृत आगणन एवं मानचित्र गठित कर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त किया जाय तथा उच्च अधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता से कार्य स्थल का भली भांति निरीक्षण के पश्चात् आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय ।

(3) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यथा आवश्यक प्राधिकृत विभाग/सक्षम अधिकारी से नक्शा पास कराया जाना आवश्यक है ।

(4) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय, जितनी राशि स्वीकृत की गयी है ।

(5) एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व, विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय ।

(6) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित किया जाय ।

(7) कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों से कार्य स्थल का भली भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात् दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय ।

(8) आगणन में धनराशि जिन मदों हेतु स्वीकृत की गई है, उसी मद में व्यय की जाय । एक मद की राशि दूसरी मद में किसी भी दशा में व्यय न की जाय ।

(9) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला में टेस्टिंग करा लिया जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री का प्रयोग में लाया जाय ।

(10) व्यय से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली, 2008, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेश एवं तद्विषयक अन्य आदेशों का अनुपालन किया जाय । कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी/अधिशासी अभियन्ता पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे ।

(11) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219(2006), दिनांक 30.5.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

(12) स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31.3.2009 तक पूर्ण उपयोग कर स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जाय ।

3- उक्त स्वीकृत आगणन में टाईप-III के प्रस्तावित 08 आवासों (दो मंजिला, दो भवन) के स्थान पर टाईप-III के 04 आवासों (दो मंजिला एक भवन) हेतु आगणन का परीक्षण किया गया है तद्नुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है ।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-04 के आयोजनागत पक्ष में लेखा-शीर्षक "4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-60-अन्य भवन-051-निर्माण-03-न्यायिक कार्यों हेतु भवनों का निर्माण-00-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा ।

5- यह आदेश वित्त अनुभाग-5 के अशासकीय संख्या-32 P/XXVII(5)/2008,दिनांक 19.6.2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(आर०डी०पालीवाल)
सचिव ।

संख्या 13-दो(8)/XXXVI(1)(2)/08-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबेराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून ।
2- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
3- जिला न्यायाधीश, देहरादून ।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/देहरादून ।
5- अधिशासी अभियन्ता, अस्थायी खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सहिया(कालसी) देहरादून ।
6- नियोजन विभाग/वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन ।
7- एन०आई०सी०/सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(के०पी०पाटनी)
अनु सचिव ।